

सभी प्रतिष्ठित आवास वित्त कंपनियों

महोदया/महोदय

प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी / प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी 2.0 के लाभार्थियों को समय पर / परेशानी मुक्त आवास ऋण के संबंध में

जैसा कि आप जानते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी 2.0 के सफल कार्यान्वयन के लिए औपचारिक ऋण अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस योजना का उद्देश्य अगले पाँच वर्षों में ईडब्ल्यूएस/एलआईजी/एमआईजी श्रेणियों के एक करोड़ परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

2. इस संबंध में, हमें वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से दिनांक 16 सितंबर, 2025 का पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें बताया गया है कि उक्त योजना के अंतर्गत, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के परिवार ₹ 2.5 लाख रुपये प्रति परिवार की सहायता के लिए पात्र हैं। हालाँकि, कुछ लाभार्थियों को ऋण सुविधा के रूप में अतिरिक्त वित्तीय सहायता की भी आवश्यकता हो सकती है। इसके अलावा, इस श्रेणी के अंतर्गत आवास ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाने के लिए, विभिन्न पहलों का उल्लेख नीचे किया गया है।

- क) आईबीए द्वारा मॉडल आवास ऋण योजना विकसित की गई है तथा बैंकों को निर्देशित किया गया, जो इस क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।
- ख) संभावित ऋण जोखिम को कम करने के लिए, निम्न आय आवास के लिए ऋण जोखिम गारंटी निधि योजना (सीआरजीएफ योजना) भी विकसित की गई है और राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्ट कंपनी (एनसीजीटीसी) के माध्यम से कार्यान्वित की गई है।
- ग) बीएलसी और एचपी लाभार्थियों के तहत अनुमोदित लाभार्थियों की एक सूची भी पीएमएवाई 2.0 एकीकृत वेब पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है, जिसका उपयोग लाभार्थियों से जुड़ने और उनकी ऋण पात्रता का आकलन करने के लिए किया जा सकता है।
- घ) प्रत्येक वर्ष विशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत बैंकों द्वारा ऋण की लक्षित संख्या प्राप्त करने की सलाह दी गई।

तथापि, यह देखा गया है कि बैंकिंग चैनलों से औपचारिक ऋण तक पहुंच अभी भी ईडब्ल्यूएस/एलआईजी वर्ग के लिए सीमित है, क्योंकि बैंकों द्वारा विशिष्ट ऋण दिशा-निर्देशों का अभाव है तथा इस वर्ग के लिए सहायता प्रदान करने वालों के संबंध में कर्मचारियों में जागरूकता का अभाव है।

3. उपरोक्त के मद्देनजर, और वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दी गई सलाह के अनुसार, आपसे अनुरोध है कि आप अपनी शाखाओं और परिचालन स्तर के अधिकारियों को प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी/प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के लाभार्थियों को आवश्यक सहायता प्रदान करने और पात्रता की शर्तों के अनुसार समय पर/परेशानी मुक्त आवास ऋण प्रदान करने के निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

भवदीय,



(अनुराज रस्तोगी)

महाप्रबंधक